

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली पाली

प्रार्थीगण:-

मदनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत
निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी
तह. देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

- ग्राम पंचायत कोटडी तह. देसूरी
जिला पाली जसिये ग्राम विकास
अधिकारी ग्रा.प. कोटडी प.स. देसूरी
- कंकु पत्नी वजाराय जाति मेधवाल
निवासी कोटडी तह. देसूरी पाली राज.

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 238/2024

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2024/267)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुकम की तारीख में जारी हुई
19.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलेक्टर महादय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">N अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली</p> <p>पञ्जावली अहकाम इमें प्रानी मय (अधिवक्ता) अहकाम प्रार्थीगण को अहकाम किन्दि उक्त निगरानी अहकामो खताना लही खासत आः खारीज किफायते अहकाम निगरानी करिदि किन्दि खारीज की जाती हैं। पञ्जावली केवल शुमार होकर नम्बर के कम हो। निर्णय सुनाना गया।</p> <p style="text-align: center;">Mun 22/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	<p>क्र. 574 दि. 19/03/24 को नोटिस जारी।</p> <p>मदनसिंह आमि कंकु</p> <p>(अतिरिक्त) अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>

22/5/24